

मंडल की 9.1.2018 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
1.	170	पोर्ट सम्पत्तियों का बिमा - बिमा का नवीनीकरण.	टिप्पणी के परिच्छेद 12 का विस एवं मुलेअ का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	वित्त
2.	171	मंडल की 10 नवंबर, 2017 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टी.	मंडल की 10.11.2017 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टी की जाती है.	सामान्य प्रशासन
3.	172	मंडल की 27 नवंबर, 2017 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टी.	मंडल की 27.11.2017 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टी की जाती है.	सामान्य प्रशासन
4.	173	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट लाभार्थियों को दो वर्षों की अवधि के लिए पैकेज मदों के लिए मुंपोट्ट मानकदरों तथा नॉन-पैकेज मदों के लिए छूट के मानक प्रतिशत के अनुसार क्रेडिट आधारपर सहायक इलाज सुविधा तथा उच्च विशिष्ट इलाज सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के साथ निजी अस्पतालों/रोग निदान विज्ञान केंद्रों की नाम सूची के लिए रुची प्रकट करने के संबंध में ऑनलाइन निविदा सं.सीएमओ-12/2017.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	चिकित्सा
5.	174	14 अप्रैल 1944 को विस्फोट में मारे गये अथवा गायब पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारियों तथा अग्निशमन सेवा कर्मियों के परिवारों को पेंशन में सुधार.	जीवित पारिवारिक पेंशनरों के लिए विस्फोट पेंशन 1.1.2012 से ₹5000 से ₹10,000 तक संशोधित की जाती हैं.	वित्त
6.	175	मुंपोट्ट दरमानों में कचरा ग्रहण सुविधा हेतु प्रभारों में वृद्धि.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का उपसंरक्षक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	समुद्री
7.	176	पीरपॉव में युजर एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड तथा केमिकल टर्मिनल ट्रॉम्बे लि. द्वारा संयुक्त सुविधाओं (यानी मरीन लोडिंग आर्म्स) के साथ प्रथम रसायन घाट से द्वितीय रसायन घाट तक पहले बढ़ायी गयी पाइपलाईनों के विशेष मार्गानुमाहि के नियम एवं शर्तों को अंतिम रूप देना.	टिप्पणी के परिच्छेद 11 का मुख्य अभियंता (विभागप्रमुख संपदा) का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य (संपदा)

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
8.	177	मुंपोट्ट वरुक्शॉप में असुरकुषुत ढॉंरु गुरररनर.	रेल्वे लरइन के पसर के भंडरर कुकुषु तथर बॉयलर शॉप के पसर के आररम गुरदरम गुररने हेतु मुखुय अरुभरयंतर कर प्रसुतरव अनुडुडुरदरत कुररर करतर हैं. करहॉं तक कररुपेंटर शॉप/खलरसुी आररम कुकुषु तक के नुररुडुरण वरसुतरर कर संबुध है, मुखुय अरुभरयंतर इसे गुररने हेतु कररुयवरई प्रररंभ करने से पहले मुखुय यरंतुरक अरुभरयंतर से संपरुक करें.	सुथरपतुय
9.	178	ई-नलरडुी के डरधुडुडु से अनलकरसलत/बेदरवी डरलुुु के नलपटरन के ललए उडरधुयकुषु करी सडुडुतरतल डें सुीडरशुलुक से सदसुय के शरडुडुल करने हेतु अनुडुडुदन.	टलपुडुणी के डरररकुषुेद 4 कर यरतरयरत डुरंभुधक कर प्रसुतरव अनुडुडुरदरत कुरररर करतर है.	यरतरयरत
10.	179	टुररडुडुल कुु. ऑडुरेटीव डररुकेटलंग डेवलडुडुडुडु डेडुरेशन इंडुरर लल. डुररर टुररडुडुल हसुतशललुडु/उतुडुडुडुु के ललए शुरुडुडु/शॉप के ललए सुथरन आडुडुडुन हेतु अनुडुरुध.	डुरतलडुडुह 3610 रुरुडुडे डुरतलवरुग डुीटर अथवर उसके डुरग के दर के लरडुसंस शुलुक डुर टलपुडुणी के डरररकुषुेद 12 कर यरतरयरत डुरंभुधक के प्रसुतरव कुु अनुडुडुरदरत कुरररर करतर हैं.	यरतरयरत
11.	180	अनुतररररुषुुरीय यरतुरी करहकर के आगडुन के डुरररन डुंडुई डुुुर्ट के डुीडुीडुडुस यरतुरी टरुडुनल डुर असुथरडुी सुुुलुस/शॉडुस लगरने के ललए सुथरन आडुडुडुन हेतु नलवरदर.	टलपुडुणी के डरररकुषुेद 8 के यरतरयरत डुरंभुधक के प्रसुतरव कुु अनुडुडुदन डुरदरन कुरररर करतर है.	यरतरयरत
12.	181	डुंडुई डुुुुर्ट टुरसुुट के डुंडुई अनुतररररुषुुरीय यरतुरी टरुडुनल डें नलःशुलुक शॉप लगरने के ललए लरडुसंस आडुधर डुर कुषुेत्र के आडुडुडुन हेतु नलवरदर.	टलपुडुणी के डरररकुषुेद 11 कर यरतरयरत डुरंभुधक कर प्रसुतरव अनुडुडुरदरत कुरररर करतर है, करसडुुु डुुलुडुडुडुगुु डुडुुुी डुरी शॉप डुरर.लल. कुु 28.11.2017 से 6 डुडुहने की अवधल अथवर नयर लरडुसंस देने तक, कुु डुी पहले हुु, लरडुसंस कर वलसुतरर शरडुडुल है.	यरतरयरत
13.	182	तुुीय करहकरुुु के संबुध डें उगरहर गुरर डुडुडुल डुुडुडुडु डुरडुडुडुडु.	टलपुडुणी के डरररकुषुेद 17 कर उडुसंसरकुषुक कर प्रसुतरव अनुडुडुरदरत कुरररर करतर है.	सडुडुुी

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
14.	183	फ्लोटिंग क्रेन 'श्रेष्ठा' का निपटारा.	टिप्पणी के परिच्छेद 9 का उपसंरक्षक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	समुद्री
15.	184	मुंपोट्ट कर्मचारी (भ व प) विनियम, 2010 में समुद्री अभियंता पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन.	चयन में "पद अर्हकता" शब्द हटाने के साथ अथवा महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 28 के साथ पठनीय मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नती) विनियम 2010 के विनियम 5 के अन्तर्गत अनुलग्नक I में यथाप्रस्तुत भर्ती नियम में प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी प्रदान की जाती है, बशर्ते कि इसीकी धारा 124(i) के अन्तर्गत सरकारी मंजूरी मिले.	सामान्य प्रशासन (मा.सं.)
16.	185	जवाहरद्वीप, मुंबई हार्बर स्थित 5 वे ऑइल घाट परियोजना के लिए सिविल कार्य - आयटीडी सीमेंटेशन, ठेकेदार के मजदूरों और कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त आवास.	टिप्पणी के परिच्छेद 8 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
17.	186	दो वर्षों की अवधि के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल को औषधियों की आपूर्ति हेतु दर संविदा के लिए ऑन लाइन निविदा पुनः मंगाने के लिए पूर्व अर्हता मापदण्ड.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	चिकित्सा
18.	187	जो सेवायें मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं उसके लिए मुंपोट्ट मरीजों को सूचीबद्ध अस्पतालों में भेजने हेतु मार्गदर्शन तत्व.	चर्चा टिप्पणी में प्रकटनुसार संशोधन के साथ टिप्पणी के परिच्छेद 10 का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	चिकित्सा
19.	188	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ प्रारूप समझौता ज्ञापन - ह्युजेस निर्जल गोदी तथा इंदिरा गोदी में जहाज मरम्मत सुविधामें सुधार, विकास तथा प्रचालन करना.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य यांत्रिक अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यांत्रिकी

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
20.	189	ओसीटी के उपलब्ध कंकरीट ब्लॉकों का उपयोग कर के घाट सं.3 तथा 4 स्थित हे बंदर घाट दीवार का पुनःनिर्माण.	टिप्पणी के परिच्छेद 8 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
21.	190	सहा. निदेशक (ईडीपी) (₹9100-15100), उप निदेशक (ईडीपी) (₹10750-16750) तथा वरि. उप निदेशक (ईडीपी) (₹13000-18250) ईडीपी प्रभाग के पदों के लिए प्रस्तावित भर्ती नियम.	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 के साथ पठनीय मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नती) विनियम, 2010 के विनियम 5 के अन्तर्गत अनुलग्नक I में यथाप्रस्तुत भर्ती नियमों में प्रस्तावित संशोधन, बशर्ते कि, इसी की धारा 124 (i) के अन्तर्गत सरकारी मंजूरी मिले, अनुमोदित है.	सामान्य प्रशासन
22.	191	लाइटरेज प्रचालन के लिए स्टीविडोरिंग प्रभागों की उगाही.	टिप्पणी के परिच्छेद 10 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव जिसकी एक वर्ष के बाद समीक्षा करनी है, अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
23.	192	पीरपॉव स्थित भूखण्ड सौपना, पट्टाधारक - राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टीलाइजर्स लि. (आर सी एफ) (कोड सं. 10104102).	टिप्पणी के परिच्छेद 14 का मुख्य अभियंता (विभाग प्रमुख संपदा) का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य (संपदा)
24	193	ई-प्लेटफार्म ऑप्लीकेशन के लिए मोबाइल ऑप्लीकेशन एवं वेब पोर्टल और ग्राहक संपुष्टीकरण के लिए विश्लेषणात्मक उपकरण तथा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के लिए आंतरिक रेटिंग (फीडबैक पोर्टल प्रणाली) का कार्यान्वयन.	टिप्पणी के परिच्छेद 12 का संयुक्त निदेशक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	ईडीपी
25.	194	निविदा सं.ई.116/2017 - सिवरी से एलिफण्टा द्वीप तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना के लिए अनापत्ति प्राप्त करने के लिए परामर्श सेवायें.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
26.	195	निविदा सं.ई-136/2017- जवाहरद्वीप मुंबई पोर्ट के दक्षिण-पश्चिम छोटी खाड़ी समतल करना - प्रस्ताव की स्वीकृती.	टिप्पणी के परिच्छेद 8 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
27.	196	प्रिंसेस तथा विक्टोरिया गोदी के प्रस्तावित घरेलू क्रुज टर्मिनल में विद्युत व्यवस्था उपलब्ध कराना.	टिप्पणी के परिच्छेद 5 का मुख्य यांत्रिक अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यांत्रिकी
28.	197	मुं. पो. ट्र. में सूचना एवं संचार तकनीकी ज्ञान की आधारभूत सुविधा के लिए आयटी सुरक्षा लेखा परीक्षा का कार्यान्वयन -उन्नत संगणकीय विकास के लिए नामांकन आधार पर सेन्टर को कार्य संविदा देना.	टिप्पणी के परिच्छेद 11 का संयुक्त निदेशक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	ईटीपी
29.	198	ओएनजीसी से संबंधित मुद्दे - घाट शुल्क प्रतिपूर्ति, विशेष मार्गाधिकार शुल्क तथा सेवाकर संबंधी बकाया राशि -12 विक्टोरिया गोदी में अधिग्रहित क्षेत्र के लिए किराया राशि.	टिप्पणी के परिच्छेद 12 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
30.	199	नई मुंबई तथा थाणे में यातायात संकीर्णन तथा वाहन प्रदूषण कम करना जो जेएनपीटी के मुंबई में खपतवाले माल के कारण होता जो भिवंडी वेअरहाउस जाता है और उसके बाद खपत के लिए मुंबई आता है.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को सैध्दांतिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	यातायात

.....

c4/Pro 9 January 2018/actiontaken20180109(hindi)